भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA

(181)

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50
म.प्र.भूराजस्व संहिता के अन्तर्गतः– रा.निगरानी क्र. / 18–19

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
म.प्र.राजस्व मण्डल ग्वालियर

निगरानी-0146/2019/खरगोन/भू.रा.

ओमप्रकाश पिता लक्ष्मण दांगी
निवासी गांधीनगर खरगोन तहसील खरगोन
जिला खरगोन — आवेदक / मूल आवेदक

विरूद्ध

1. साधोराम पिता मोतीसिंह दांगी
निवासी पहाड़सिंहपुरा खरगोन
तहसील व जिला खरगोन
2. बद्री पिता मोतीसिंह दांगी
निवासी पहाड़सिंहपुरा खरगोन
तहसील व जिला खरगोन — अनावेदक / मूल अनावेदकगण

श्री आर. एस. उपाध्याय अभि. द्वारा इन्दौर कैम्प पर प्रस्तुत

23-1-19

दावाः– अपर आयुक्त महोदय का आदेश निरस्त करने बाबद ।

आवेदक का नम्र निवेदन है किः–

(1) यहकि आवेदक यह अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर सम्भाग इन्दौर द्वारा द्वितीय अपील प्र.क्र.200 वर्ष 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 22/10/2018 से असन्तुष्ट होकर न्याय प्राप्ति हेतु सदर निगरानी प्रस्तुत करता है।

(2) सदर निगरानी आदेश की जानकारी से नकल प्रमाणित प्राप्त होने पर अन्दर म्याद में प्रस्तुत है। प्रमाणित नकल संलग्न पेश है।

(3) सदर निगरानी योग्य न्यायशुल्क मुद्रापत्र पर प्रस्तुत है।

(4) सदर निगरानी में कानूनी मुद्दा होकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रेकार्ड देखे गुण दोष पर विचार नहीं करके दावा अवधि में नही है, ऐसा मान कर धारा 115, 116 के अर्थ को कानूनी रूप से विचार में नहीं लेकर जो आदेश दिये है, वे समस्त निरस्त होने योग्य है।

(5) सदर निगरानी में आवेदक को न्याय मिलने की पूर्ण सम्भावना है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 0146/2019/खरगौन/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-1-19	आवेदक की ओर से श्री राजाराम उपाध्याय अधिवक्ता उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी आयुक्त न्यायालय के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण का प्रावधान समाप्त होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	